झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 07/विविध–16/2018 ज॰ सं॰ –   /राँची, दिनांक :– ....

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभि॰)

सेवा में,

प्रशासक,
सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना,
आदित्यपुर, जमशेदपुर।

Speed Post

E-mail

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता/सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

विषय :– **दिसम्बर, 2018 के पूर्व विभाग द्वारा निर्गत किये गये आवंटनादेश में 31 दिसम्बर 2018 तक राशि का प्रत्यार्पण हेतु लगाये गये शर्त्त को 15 मार्च, 2019 तक विस्तारित करने के संबंध में ।**

महाशय,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन हजारीबाग एवं मुख्य अभियंता लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन हजारीबाग कोषागार से संबंधित प्रमंडलों द्वारा कोषागार को समर्पित विपत्रों के विरूद्ध निकासी पर इस कारण से रोक लगा दी गयी है कि दिसम्बर, 2018 के पूर्व आवंटनादेश में यह शर्त्त अंकित किया गया है कि विभिन्न इकाई मदों मे आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31, दिसम्बर 2018 तक निश्चित रूप से कर दिया जायेगा। यह शर्त्त इस कारण से अंकित किया गया है कि तृतीय अनुपूरक आगणन में राज्य योजना मद में समतुल्य प्रत्यार्पण के विरूद्ध प्रस्ताव योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) को समर्पित किया जा सके।

उपरोक्त के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि विभाग द्वारा निर्गत जिन आवंटनादेशों में 31, दिसम्बर, 2018 तक राशि प्रत्यार्पण हेतु शर्त्त अंकित किया गया है, उसे 15 मार्च, 2019 तक विस्तारित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
22/02/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

ज्ञापांक :– 07/विविध–16/2018 ज॰ सं॰ –   /राँची, दिनांक :– ....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰– हिनू, राँची/ राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/02/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

कृ॰पृ॰उ॰

ज्ञापांक :– 07 / विविध–16 / 2018 ज० सं० – 1173 / राँची, दिनांक :– 22/02/2019

प्रतिलिपि :– वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/02/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)